न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./5322/2005/टोंक

छगन लाल पुत्र कजोडी लाल जाति आचार्य निवासी पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक

अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती पांची पत्नी स्व. लक्षमीनारायण
2. भूपेन्द्र पुत्र लक्षमीनारायण
3. शिव चरण पुत्र लक्षमीनारायण
   समस्त जाति आचार्य ब्राहमण निवासी पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक
4 .श्रीमती भंवरी धर्मपत्नी महावीर पुत्री स्व. लक्षमीनारायण जाति आचार्य ब्राहमण निवासी ग्राम सरवाड जिला अजमेर
5. कोका पुत्री लक्षमीनारायण जाति आचार्य ब्राहमण निवासी पीपलू जिला टोंक
6. बरदी पुत्री रामजीवण जाति आचार्य ब्राहमण निवासी पीपलू जिला टोंक
7. तहसीलदार पीपलू

रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री मोडू दान देथा सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित
श्री अजीत लोढा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री राजेश गौतम अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः 15.4.19

1. यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक के निर्णय व डिक्री दिनांक 12-8-2005 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू के समक्ष अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक वाद उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब पेश होने पर विचारण न्यायालय ने दावा एवं जबाब दावा के आधार पर कुल सात तनकीयात कायम की और अपने निर्णय दिनांक 1-8-2003 से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक के न्यायालय में अपील पेश की जिन्होने अपने निर्णय दिनांक 12-8-2005 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि आक्षेपित निर्णय पारित करते समय अपीलीय न्यायालय द्वारा उनके समक्ष मौजूद राजस्व अभिलेख, शहादत की पूर्णरूप से अनदेखी कर निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 का निर्माण गलत रूप से किया गया था एवं उक्त तनकी का वादी द्वारा अपने वाद पत्र में चाहे गये रिलीफ से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 कायम की गई जिसमें इस तनकी के इश्यू से परे जाकर विचारण न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर रिपोर्ट के बाबत गलत तौर पर फाइन्डिंग दी गई जो कि स्वीकृत विधि के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। साथ ही अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तनकी में क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार बाबत जो टिप्पणी की गई वह भी इस तनकी से परे जाकर की गई है। तनकी संख्या 1 का विवेचन अपीलीय न्यायालय ने विधिक रूप से नहीं किया है।

तनकी संख्या 2 व 3 के बाबत विचारण न्यायालय द्वारा कोई फाइन्डिंग अपने आक्षेपित निर्णय में नहीं दी गई। न ही इस बाबत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई तनकीवार फाइन्डिंग दी गई। इसी प्रकार अन्य तनकीयात के बाबत पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत निर्णय पारित किया है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त योग्य हैं।

5. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि खसरा नम्बर 1671 की कितनी भूमि अपीलार्थी के खाते दर्ज की जावे यह कहीं अंकित नहीं किया गया है। अपीलार्थी सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरण को राजस्व न्यायालय से निर्णित करवाना चाहता है। अपीलार्थी ने विवादित भूमि पर पुराना कब्जा बताया है किन्तु कब्जा किस तारीख व किस वर्ष से है, यह नहीं बताया। उनका तर्क है कि तनकी संख्या 1 गलत नहीं बनाई गई है। यदि कोई तनकी गलत बनी है तो इस बाबत अपीलार्थी को विचारण न्यायालय के समक्ष आपति करनी चाहिये थी। इकरारनामा प्रदर्श नहीं कराया है तथा यह अपंजीकृत दस्तावेज है इसलिये इसे साक्ष्य में नहीं पढा जा सकता। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी अपीलार्थी द्वारा वाद में मुख्य रूप से खसरा नम्बर 1671 पर 30 वर्ष से अधिक से एडवर्स पजेशन होने के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गई है। इस संबंध में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निर्णय पारित करते हुए विवादित भूमि के कितने रकबे पर वादी का कब्जा है तथा कब्जा कब से है, यह स्पष्ट रूप से नहीं बताने एवं 30 वर्ष पुराना कब्जा होना दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं होना मानते हुए वाद वादी खारिज किया है।

8. वादी द्वारा अपने वाद में प्रथम तो यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसका खसरा नम्बर 1671 के कितने रकबे पर कब्जा है तथा कब्जे का आधार क्या है। इसके साथ ही उसका एडवर्स पजेशन कब से यह भी साबित नहीं किया गया है। द्वितीय यह

कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर कृषि भूमि पर वादी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। खसरा नम्बर 1671 के कुछ रकबे में से 12 फिट चोडा रास्ता होना बयानों में जाहिर हुआ है। अतः यदि रास्ते का कोई विवाद हो तो पक्षकार सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। खातेदारी अधिकारो के इस वाद में उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत रास्ते के संबंध में अनुतोष नहीं दिया जा सकता।

9. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में यह बिन्दु भी उठाया है कि विचारण न्यायालय ने तनकियात का निर्माण गलत किया है, यह बिन्दु इस द्वितीय अपील के स्तर पर कोई महत्व नहीं रखता है क्योंकि वादी का वाद में मुख्य रूप से एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। ऐसी स्थिति में इस द्वितीय अपील के स्तर पर तनकी निर्माण के संबंध में आपति उठाई जाना अनुचित एवं निराधार है। हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं यह अपील खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक का निर्णय दिनांक 12–8–2005 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य